



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या-240-ज०शा० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2022-29-प्र०सु०/2001

दिनांक 05.03.2022

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में विद्युत चोरी पाये जाने की स्थिति में, प्राथमिकी न दर्ज करने/निर्धारित समय सीमा 24 घण्टे के उपरान्त विलम्ब से प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-70-ज०शा० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2022-29-प्र०सु०/2001 दिनांक 08.02.2022 द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन न करने पर, जाँचोपरांत दोषी पाये गये कार्मिकों को एतद्वारा निम्नानुसार शस्तियों से अधिरोपित किये जाने का प्राविधान किया जाता है :-

क्र० सं०	विवरण	शस्ति
1	एक माह की अवधि में सम्बन्धित विद्युत चोरी के प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा 24 घण्टे में प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज न कराये जाने एवं जाँचोपरांत प्रथम बार कार्मिक के दोषी पाये जाने पर।	चेतावनी
2	(अ) एक माह की अवधि में सम्बन्धित विद्युत चोरी के प्रकरणों में प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज न कराये जाने एवं जाँचोपरांत प्रथम बार कार्मिक के दोषी पाये जाने पर। (ब) ऐसे कार्मिक, जिन्हें विद्युत चोरी के प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा 24 घण्टे में प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज न कराये जाने एवं जाँचोपरांत दोषी पाये जाने पर चेतावनी दी जा चुकी है, के पुनः दोषी पाये जाने पर।	परिनिन्दा
3	(अ) ऐसे कार्मिक, जिन्हें विद्युत चोरी के प्रकरणों में प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज न कराये जाने एवं जाँचोपरांत दोषी पाये जाने पर परिनिन्दा की शस्ति अधिरोपित की जा चुकी है, के पुनः दोषी पाये जाने पर। (ब) ऐसे कार्मिक, जिन्हें विद्युत चोरी के प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा 24 घण्टे में प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज न कराये जाने एवं जाँचोपरांत दोषी पाये जाने पर परिनिन्दा की शस्ति अधिरोपित की जा चुकी है, के पुनः दोषी पाये जाने पर।	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना
4	(अ) ऐसे कार्मिक, जिन्हें विद्युत चोरी के प्रकरणों में प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज न कराये जाने एवं जाँचोपरांत दोषी पाये जाने पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकने की शस्ति अधिरोपित की जा चुकी है, के पुनः दोषी पाये जाने पर। (ब) ऐसे कार्मिक, जिन्हें विद्युत चोरी के प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा 24 घण्टे में प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज न कराये जाने एवं जाँचोपरांत दोषी पाये जाने पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकने की शस्ति अधिरोपित की जा चुकी है, के पुनः दोषी पाये जाने पर।	दीर्घ दण्ड

2. उपरोक्त समस्त प्रस्तावित दण्ड निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
3. उक्त के अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-70-ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0-01/पाकालि/2022-29-प्र0सु0/2001 दिनांक 08.02.2022 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।


अध्यक्ष

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

संख्या-240(i)-ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0-01/पाकालि/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को, कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर-I/स्तर-II, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को, कानपुर।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/अधिशाली निदेशक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(आय-व्ययक)/(निधि-प्रशा0 एवं संप्रे0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशाली अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,



(ए0 के0 पुरवार)

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)